



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर

(Phone : 0141-2227481,2227555, FAX: 2227602, Toll free Help line No.15100)

(E-mail:- rj-slsa.nic.in, rslsaajp@gmail.com)

Website:- www.rlsa.gov.in)

क्रमांक:-F-3()/RSLSA/PLV Selection/DS-II/ 384

दिनांक :- 02.08.2017

—:कार्यालय आदेश:—

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा वर्ष 2017 (25.04.2017 से 31.07.2017) के लिए गठित पैरा लीगल वॉलियन्टर्स के पैनल में से सुश्री वर्तिका गोयल द्वारा स्वैच्छिक पीएलवी का कार्य नहीं किए जा सकने एवं सुश्री वैशाली सैनी द्वारा पीएलवी के कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण सुश्री वर्तिका गोयल एवं सुश्री वैशाली सैनी का नाम बतौर पीएलवी उक्त पैनल में से हटाया जाता है।

(एस.के.जैन)

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर।

क्रमांक:-F-3()/RSLSA/PLV Selection/DS-II/ 14484-14487

दिनांक :- 02-08-2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सुश्री वर्तिका गोयल
2. सुश्री वैशाली सैनी
3. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
4. कार्यालय आदेश पत्रावली।

(अजय कुमार) 02/08/17

उप सचिव-द्वितीय

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर।

“Help the needy-timely help may create history”